बजट समाचार

राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

त्रैमासिक | अंक 41 | जुलाई - सितम्बर 2012 | सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने वर्ष 2010 में राज्य बजट में पारदर्शिता पर एक अध्ययन दिल्ली स्थित सेन्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के साथ मिलकर किया था। यह अध्ययन वर्ष 2009–10 के बजट एवं संबंधित दस्तावेजों की उपलब्धता एवं उनकी गुणवत्ता, सहजता आदि को लेकर किया गया था।

बजट से संबंधित दस्तावेजों में महत्वपूर्ण दस्तावेज आउटकम एवं आउटपुट बजट होते हैं। परन्तु वर्ष 2009–10 के लिये राजस्थान में ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। हालांकि राज्य के आयोजना विभाग ने 2006–07 से ही राज्य में आउटकम बजट तथा आउटपुट बजट जारी करना शुरू किया था, परन्तु 2009–10 में ये दस्तावेज जारी नहीं हुए।

बजट सामाचार के इस अंक में हमने वर्ष 2010–11 के आउटकम बजट तथा 2009–10 के आउटपुट बजट की समीक्षा की है। राज्य में ये दस्तावेज वित्त विभाग के बजाय आयोजना विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं तथा केवल आयोजना खर्च एवं कार्यक्रमों तक सीमित होते हैं। कायदे से इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को वित्त विभाग द्वारा निकाला जाना चाहिये तथा इनमें राज्य के आयोजना तथा गैर आयोजना दोनों प्रकार के कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही इस अंक में दलित एवं आदिवासी अत्याचार निवारण कानून के तहत विभिन्न अपराधों के दलित एवं आदिवासी जातियों के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के प्रावधानों तथा उसके लिये राज्य बजट में आंवटित राशि का आंकलन किया गया है।

राज्य में जहां दलितों एवं आदिवासीयों के विरूद्व हो रहे अपराधों पर रोक लगाने की आवश्यकता है वहीं ऐसे पीड़ितों के लिये उचित मुआवज़े के लिये समुचित बजट आवंटन भी आवश्यक है। इस कानुन में अदालती कार्यवाही के दौरान गवाहों के आने जाने के किराये का भी प्रावधान है। अतः इस प्रकार के अपराधों पर रोक लगाने हेतु ऐसे मामलों में उचित मुआवज़ा एवं गवाहों को देय राशि का समुचित प्रबंध आवश्यक है।

बजट सामाचार के इस अंक में राज्य पंचायतों को दी जाने वाली राशि का मदवार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया है। आशा है कि बजट सामाचार का यह अंक आपको पसंद आएगा। बजट समाचार का यह अंक आपको कैसा लगा इस संबंध में कृपया अपने विचारों से हमे अवश्य अवगत करायें।

सरकारी योजनाओं का आईना है आउटकम और आउटपुट बजट

बजट सरकार की लोक नीति का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। बजट में राज्य में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग से सामाजिक कल्याण के लिए एक निर्धारित वर्ष में योजनाओं का प्रारुप तैयार किया जाता है। इसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट घोषणाओं एवं दस्तावेजों में प्रस्तावित राशि के अनुरुप उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

राज्य विधानसभा में हर साल आगामी वित्त वर्ष के लिए राज्य बजट पेश किया जाता है जिसमें आर्थिक समीक्षा, राज्य बजट घोषणा प्रपत्र, राज्य बजट आंकड़ों पर आधारित पुस्तकों के अलावा इससे जुड़े कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भी शामिल होते हैं। आमजन को इसके बारे में जागरुक करने के लिए इन दस्तावेजों पर आधारित रिपोर्टों का प्रकाशन समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों और सामाजिक संगठनों की ओर से किया जाता है। बजट को लेकर सरकार द्वारा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों एवं दस्तावेजों का भी प्रकाशन किया जाता है जो कि बहुत कम लोगों की जानकारी में होते हैं और इसके अभाव में बजट से जुड़ी बहुत सी जानकारियां लोगों को नही मिल पाती।

आउटपुट बजट के माध्यम से किसी योजना के निर्धारित लक्ष्यों के साथ साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है, जबकि आउटकम बजट से वास्तविक उपलब्धियों और लक्ष्यों के साथ योजना के संभावित परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। चूंकि आउटकम बजट चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के करीब 3 माह पूर्व तक की अवधि के लिए जारी किया जाता है अतः इसमें वास्तविक उपलब्धियां न देकर उस समय तक की स्थिती के आधार पर संभावित आउटकम (परिणाम) जारी किए जाते हैं जिनके आधार पर अगले वर्ष वास्तविक परिणामों को लेकर आउटपुट बजट जारी किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आउटपुट बजट, आउटकम बजट का अगला संस्करण होता है जिसमें वास्तविक भौतिक उपलब्धियां दर्शाई जाती हैं।

आउटकम बजट में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों को शामिल किया जाता है इसमें गैर आयोजना व्यय शामिल नहीं होता है लेकिन आगामी समय में इसमें गैर आयोजना व्यय को भी शामिल किए जाने पर विचार चल रहा है। आउटकम एवं आउटपुट बजट पर राज्य के वित्त विभाग एवं आयोजना विभाग मिलकर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं।

आम आदमी की पहुंच से दूर हैं आउटकम और आउटपुट बजट

आउटकम बजट तथा आउटपुट बजट ऐसे ही दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज सरकार द्वारा बजट के माध्यम से विभिन्न विभागों में शुरु की गई नई योजनाओं के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों एवं उनसे प्राप्त परिणामों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं।

राजस्थान में आउटकम एवं आउटपुट बजट की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005–06 से की गई थी। इसके बाद से राज्य के वित्त विभाग की वेबसाईट पर केवल वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के आउटकम बजट एवं राज्य के आयोजना विभाग की वेबसाईट पर 2006–07 से 2008–09 तक के आउटकम बजट एवं 2006–07 एवं 2007–08 के आउटपुट बजट उपलब्ध हैं। इसके बाद का कोई भी नया दस्तावेज विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है। आयोजना विभाग द्वारा हाल ही में आउटकम बजट 2011–12 एवं आउटपुट बजट 2010–11 जारी की गई है परन्तु ये भी सरकार के वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं हैं।

आउटकम बजट :

आउटकम बजट एक दीर्घकालीन एवं सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों एवं योजनाओं के मूल उद्देश्य की उपलब्धि का आंकलन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, आउटकम बजट सरकार द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट का प्रगति मूल्यांकन का दस्तावेज होता है जो कि योजनाओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित होता है। आउटकम बजट के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि सरकार द्वारा बजट घोषणाएं और राज्य में चलाई जा रही योजनाएं किस स्तर तक अपने भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही। आउटकम बजट सेवाओं के वितरण में सुधार, निर्णय प्रक्रिया में सहायक, कार्यक्रम प्रदर्शन मूल्यांकन और परिणामों के बारे में जानकारी देने के साथ ही सरकारी कार्यक्रमों के अधिक प्रभावशील संचालन में सहायक होता है। इसके अलावा यह दस्तावेज सरकारी कोष में से होने वाले व्यय की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के साथ ही धन के अपव्यय को रोकने में भी सहायक है। इसके द्वारा जन प्रतिनिधियों, मीडिया के साथ साथ आम जन को भी यह जानकारी मिल सकती है कि जो योजनाएं सरकार द्वारा उनके क्षेत्र के विकास के लिए चलाई गई थी, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है और वे निर्धारित लक्ष्यों के अनुरुप कहां तक पहुंची हैं।

आउटपुट बजट :

आउटपुट बजट में विभिन्न विकास योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अर्जित भौतिक उपलब्धियों को दर्शाया जाता है। काबिलेगौर है कि आउटपुट और आउटकम बजट के उद्धेश्य लगभग समान है फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। दोनों प्रलेखों के प्रमुख अन्तर यह है कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के करीब तीन माह पूर्व तक का आउटकम बजट प्रस्तुत किया जाता है जबकि वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात उस पूरे वर्ष में प्राप्त भौतिक उपलब्धियों के आधार पर आउटपुट बजट प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य में आउटकम बजट एवं आउटपुट बजट :

राजस्थान में सबसे पहले वर्ष 2005–06 में आयोजना विभाग की ओर से आउटकम बजट जारी किया गया था जिसमें 65 विभागों/एजेंसियों को शामिल किया गया जबकि पिछले साल वर्ष 2011–12 के लिए पेश किए गए आउटकम बजट में 165 विभागों/एजेंसियों को शामिल किया गया है। आउटकम बजट पुस्तिका में विभाग का नाम, स्कीम/कार्यक्रम का नाम, बजट मद, कार्यकारी ऐजेन्सी, राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अनुसार अलग–अलग व्यय की गई राशि, योजना/कार्यक्रम के उद्वेश्य, भौतिक लक्ष्य/प्रत्याशित आउटपुट, संभावित आउटकम, समय सीमा एवं जोखिम कारक सहित तमाम तरह की जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

आउटकम बजट के समान ही राज्य में आउटपुट बजट भी वित्तीय वर्ष 2005–06 में जारी किया गया था जिसमें 65 भी विभागों/ऐजेंसियों को शामिल किया गया इस साल पेश किए गए आउटपुट बजट वर्ष 2010–11 में 165 विभागों/ऐजेंसियों को शामिल किया गया है। आउटपुट बजट भी आयोजना विभाग की ओर से जारी किया जाता है। आउटपुट बजट पुस्तिका में विभाग का नाम, स्कीम/कार्यक्रम का नाम, कुल व्यय (राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनावार अलग–अलग), स्कीम/कार्यक्रम के उद्धेश्य, भौतिक लक्ष्य/प्रत्याशित आउटपुट एवं वास्तविक उपलब्धियों की जानकारी दी जाती है।

राज्य आउटकम बजट 2011–12 एवं आउटपुट बजट 2010–11 की मुख्य विशेषताएं :

आउटकम और आउटपुट बजट से सरकारी योजनाओं की प्रगति और स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकती है। उदाहण के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में गई बजट घोषणा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंर्तगत 537 नये उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का दावा किया गया था। आउटकम बजट 2011–12 के अनुसार इन दोनों घोषणाओं के लिए दिसबंर 2012 (अनुमानित) तक क्रमशः 32.89 करोड़ एवं 14.66 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इस राशि से राज्य में 537 नये उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलने संभावित हैं। इसी प्रकार एनआरएचएम के अंर्तगत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 16.54 लाख संस्थागत प्रसव के भौतिक लक्ष्य के विपरीत 31 मार्च 2012 तक 12 लाख संस्थागत प्रसव का संभावित आउटकम अपेक्षित है। टीकाकरण के लिए 15. 70 लाख के भौतिक लक्ष्य के विपरीत 1.35 लाख संभावित आउटकम दर्शाया गया है।

महिला व बाल विकास विभाग की ओर से साथिनों के जीवन बीमा के लिए जारी योजना महिला कल्याण कोष के अंतर्गत 9,189 साथिनों को लाभान्वित करने के भौतिक लक्ष्य के विपरीत 8,376 साथिनों को इस योजना का लाभ मिलना संभावित है जिसके लिए राज्य योजना के तहत करीब 6.90 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। ये तो कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आउटकम बजट योजनाओं की स्थिति जानने में किस प्रकार सहायक है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए जारी आउटकम बजट में दर्शाया गया है कि वर्ष 2010–11 में एनआरएचएम के अंर्तगत संस्थागत प्रसव के लिए 18.36 लाख के लक्ष्य के विपरीत 14. 44 लाख का आंकड़ा प्राप्त किया गया। हाथकरघा बुनकरों के स्वास्थ्य बीमा के लिए जारी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना के अंर्तगत 4000 बुनकरों के लक्ष्य के विपरीत 3528 बुनकरों का बीमा किया गया जिसके लिए राज्य योजना व्यय के रुप में करीब 4.50 लाख रुपए व्यय किए गए।

इन्दिरा आवास योजना के तहत चयनित आवासहीन ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता देने के लिए 63,362 आवासों के लक्ष्य के विपरीत 63,464 अर्थात लक्ष्य से 102 आवास अधिक उपलब्धि रही जिसके लिए 139.05 करोड़ रु. राज्य योजना व्यय के रुप में एवं 374.22 करोड़ रुपए केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में व्यय किए गए। इस प्रकार आउटपुट बजट से एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किसी योजना विशेष के लिए पूर्ण रुप से प्राप्त भौतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है।

आउटकम और आउटपुट बजट राज्य में संचालित योजनाओं के भौतिक लक्ष्यों पर आधारित उपलब्धियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने में सहायक है अतः यह सामाजिक संगठनों एवं आमजन के लिए एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है लेकिन जैसा कि आमतौर पर देखने में आता है कि राज्य के आम आदमी की इन दस्तावेजों तक पहुंच और फिर इन्हें समझ पाना एक टेढ़ी खीर है। अतः यह जरुरी है कि इन दस्तावेजों तक आमजन की पहुंच सुगम रुप से सुनिश्चित की जाए।

आजकल बहुत से सरकारी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लगाया जाता है जिसमें आम जन के लिए विभाग से संबंधित निर्देशिका, कार्य योजना एवं विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं हेतु निर्धारित अवधि के बारे में जानकारी दी हुई होती है लेकिन अगर इस चार्टर में आउटकम बजट में वर्णित भौतिक उपलब्धियों को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी आमजन तक पहुंच और अधिक आसानी से हो सकती है। इसके लिए जरुरी है कि आयोजना अथवा वित्त विभाग की वेबसाईट पर हर वर्ष नया आउटकम एवं आउटपुट दस्तावेज अपडेट किया जाए। इसके अलावा प्रतिवर्ष पेश किए जाने वाले बजट के साथ बजट पुस्तिकाओं में प्रस्तावित राशि के साथ साथ भौतिक लक्ष्यों को भी स्पष्ट रुप से दर्शाया जाना चाहिए।तीसरा और अन्तिम बिन्दु यह है कि राज्य के आउटकम एवं आउटपुट बजट में आयोजना व्यय के साथ साथ गैर आयोजना व्यय को भी शामिल किया जाए ताकि राज्य बजट का भौतिक लक्ष्यों के रुप में पूर्ण रुपेण मूल्यांकन किया जा सके।

पंचायतों को उपलब्ध धन : शीर्षवार विश्लेषण

राजस्थान सरकार की ओर से मार्च 2012 में प्रस्तुत वर्ष 2012–13 के वार्षिक बजट में इस वर्ष कुल 76675.25 करोड़ की राशि के व्यय का अनुमान लगाया गया है। राज्य बजट दस्तावेजों के अनुसार वर्तमान वर्ष में स्थानीय निकायों के लिए कुल 14844.26 करोड़ की राशि का आवंटन किया जाना तय किया गया है, जिसमें पंचायतों एवं शहरी निकायों के लिए क्रमशः 13209.01 करोड़ व 1635.25 करोड़ रूपए की राशि का आवंटन किया जाएगा।

चालू वर्ष 2012–13 में राज्य बजट से पंचायती राज संस्थाओं को जो बजट राशि आवंटित की जा रही है। उसकी सूचना राज्य सरकार द्वारा बजट पुस्तिका आय व्यय अनुमान – खण्ड 4 ब में दी गई है, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत को दी जाने वाली राशि की जिलेवार सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

सारणी संख्या – 1: पंचायतों को कुल आवंटित राशि

राशि करोड़ में

क.सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	पंचायतों को राशि	प्रतिशत
1	2011–12 **अनुमानित**	**63998.82**	**11614.95**	**18.15** %
2	2012–13 **अनुमानित**	**76675.25**	**13209.01**	**17.23** %

उक्त सारणी में पंचायतों को पिछले दो वर्षों में आवंटित राशि का ब्यौरा दिया गया है। इससे पूर्व के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को राशि आवंटन की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। सारणी संख्या 1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 में पंचायतों को कुल 11614.95 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था। यह आवंटित राशि कुल राज्य बजट की 18.15 प्रतिशत है। वर्तमान वर्ष 2012–13 में पंचायतों को कुल 13209.01 करोड़ की राशि का आवंटन किया जाना तय किया गया है। यह राशि वर्तमान वर्ष के कुल राज्य बजट की 17.23 प्रतिशत है। पंचायतों को आवंटित इस राशि में से जिला परिषदों को 2208.27 करोड़, ब्लॉक पंचायतों को 7323.38 करोड़, ग्राम पंचायतों को 2798.33 करोड़ तथा तीनों स्तरों पर विशिष्ट मद में 879.18 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से पंचायतों को राशि आवंटन के लिए तथा उसकी जानकारी देने के लिए कुछ मुख्य, उपमुख्य तथा लघु शीर्ष निर्धारित किए गए हैं। जिनके अंतर्गत पंचायतों को राशि का आंवटन किया गया है। इस लेख में पंचायतों को आवंटित राशि की मुख्य शीर्षवार जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

बार्क की ओर से चालू वित्त वर्ष में पंचायतों को आवंटित राशि का मुख्य शीर्षवार विवरण तैयार किया गया है। जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि की मुख्य शीर्षवार जानकारी दर्शाई गई है। इससे किस पंचायत को किस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन हुआ है इसे आसानी के साथ समझा जा सकता है।

सारणी संख्या – 2: जिला परिषदों को शीर्षवार आवंटित राशि

राशि करोड़ में

क. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	राशि	प्रतिशत
1	2202	सामान्य शिक्षा	20.14	0.91 %
2	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	39.45	1.79 %
3	2211	परिवार कल्याण	25.53	1.16 %
4	2225	अनु.जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों का कल्याण	184.84	8.37 %
5	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण	926.33	41.95 %
6	2236	पोषण	9.36	0.42 %
7	2401	फसल कृषि कर्म	87.06	3.94 %
8	2402	मृदा एवं जल संरक्षण	13.30	0.60 %
9	2406	वानिकी एवं वन्य प्राणी	18.00	0.82 %
10	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	120.54	5.46 %
11	2505	ग्राम रोजगार	121.00	5.48 %
12	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	633.39	28.68 %
13	2701	मध्यम सिंचाई	2.40	0.11 %
14	3054	सड़क तथा सेतू	0.0002	0.0002%
15	3604	पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	6.94	0.31 %
योग			**2208.27**	**100 %**

सारणी के अध्ययन से यह स्पष्ट है, कि राज्य बजट से जिला परिषदों कुल 2208.27 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। यह राशि आवंटन कुल 15 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतर्गत किया गया है। सारणी संख्या 2 से समझा जा सकता है, कि जिला परिषदों को किस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन हुआ है। जिला परिषदों को सर्वाधिक राशि आवंटन सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण, मुख्य शीर्ष के अंतर्गत किया गया है जिसकी राशि 926.33 करोड़ है। जो जिला परिषदों को कुल आवंटित राशि का लगभग 41.95 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी लगभग 28 तथा 9 प्रतिशत राशि का आवंटन किया गया है।

सारणी संख्या – 3: पंचायत समितियों को शीर्षवार आवंटित राशि

राशि करोड़ में

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	राशि	प्रतिशत
1	**2202**	सामान्य शिक्षा	5282.21	72.13 %
2	**2210**	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	452.26	6.18 %
3	**2211**	परिवार कल्याण	335.52	4.58 %
4	**2236**	पोषण	437.28	5.97 %
5	**2401**	फसल कृषि कर्म	201.64	2.75 %
6	**2515**	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	576.03	7.87 %
7	**2701**	मध्यम सिंचाई	2.60	0.04 %
8	**2702**	लधु सिंचाई	7.00	0.10 %
9	**3054**	सड़क तथा सेतू	0.0002	0.0002 %
10	**3604**	पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	28.84	0.39 %
योग			**7323.38**	**100 %**

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि पंचायत समितियों को राज्य बजट से कुल 7323.38 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। इस राशि का आवंटन कुल 10 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ है। किस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन पंचायत समितियों को हुआ है, इसे सारणी संख्या 3 के अध्ययन से समझा जा सकता है।

सारणी संख्या– 4 : ग्राम पंचायतों को शीर्षवार राशि आवंटन

राशि करोड़ में

क. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	राशि	प्रतिशत
1	**2515**	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2536.51	90.64%
2	**3604**	पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	261.83	9.36 %
योग			**2798.34**	**100 %**

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों को राज्य बजट से कुल 2798.33 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। इस राशि का आवंटन केवल दो मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ है। जिसमें अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2536.51 करोड़ की राशि जारी की गई है, जो ग्राम पंचायतों को आवंटित कुल राशि का 90.64 प्रतिशत है। अन्य ग्राम विकास मुख्य शीर्ष के अंतर्गत पोषाहार, ग्राम स्वरोजगार, राज्य वित्त आयोग तथा ग्राम पंचायतों की दी जाने वाली निर्बन्ध राशि को सम्मलित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशन के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 261.83 करोड़ की राशि आवंटित की गई है जो कुल आवंटन का 9.36 प्रतिशत है।

सारणी संख्या – 5: विशिष्ट मद में शीर्षवार राशि आवंटन

राशि करोड़ में

क. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	राशि	प्रतिशत
1	**2217**	शहरी विकास	105.87	12.04 %
2	**2505**	ग्राम रोजगार	317.36	36.10 %
3	**2575**	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.90	0.10 %
4	**3452**	पर्यटन	16.74	1.90 %
5	**4217**	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.0001	0.000 %
6	**4515**	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	243.28	27.67 %
7	**4575**	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	163.12	18.55 %
8	**5452**	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	31.90	3.63 %
योग			**879.18**	**100 %**

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्तमान वर्ष में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को कुल 879.18 करोड़ की राशि का आवंटन विशिष्ट मद में हुआ है। विशिष्ट मद में आवंटित राशि कुल 8 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत जारी की गई है। स्थानीय निकायों को किस मुख्य शीर्ष में कितनी राशि विशिष्ट मद में आवंटित की गई है, इसकी जानकारी सारणी संख्या 5 से स्पष्ट है। विशिष्ट मद में सर्वाधिक 317.36 करोड़ की राशि का आवंटन ग्राम रोजगार मुख्य शीर्ष के अंतर्गत किया गया है जिसमें केन्द्र व राज्य प्रवर्तित महानरेगा योजना की राशि भी सम्मलित की गई है। यह राशि विशिष्ट मद में कुल आवंटित राशि का 36.10 प्रतिशत है।

पंचायतों को हस्तांतरित विषय व आवंटित बजट –

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 16 विषय प्राथमिक तौर पर हस्तांतरित किए गए हैं। इन्हीं 16 विषयों में से 5 विषय पंचायती राज संस्थाओं को मय बजट, कार्य तथा कार्मिक पूर्ण रूप से हस्तांतरित कर दिए गए है। वर्तमान राज्य बजट से पंचायतों को कुल 23 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राशि का हस्तांतरण किया गया है। और यदि इन 23 मुख्य शीर्षों में राशि आवंटन का, हस्तांतरित 16 विषयों से संबंध बनाकर विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है, कि हस्तांतरित 16 विषयों में से केवल 10 विषयों से संबंधित राशि ही पंचायतों को आवंटित की गई है तथा शेष उर्जा, उद्योग, पशुपालन, स्वच्छता, सहकारिता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे छह विषयों पर पंचायतों को किसी तरह का राशि आवंटन राज्य बजट से नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा तीनों स्तरों की पंचायतों को पूर्ण हस्तांतरित 5 विषयों पर कुल 7009.09 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। यह राशि पंचायतों के कुल बजट 13209.01 करोड़ का 53.06 प्रतिशत है।

पंचायतों को आवंटित कुल राशि जिन 23 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दी गई है उनमें जिला परिषदों को सर्वाधिक 15, पंचायत समितियों को 10, ग्राम पंचायतों को 2 तथा विशिष्ट मद में 8 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राशि आवंटन किया गया है। हांलाकि, ग्राम पंचायतों को केवल 2 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ही राशि जारी की गई है लेकिन संभव है कि ग्राम पंचायतों को इसके अतिरिक्त भी केन्द्र सरकार से या संबधित जिला परिषद से राशि आवंटित की जाती हो। जिसकी जानकारी उपरोक्त विवरण में स्पष्ट नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट मद में राशि आवंटन की जानकारी के विवरण में यह कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा कि आंवटित राशि किसी पंचायत निकाय को जारी की गई है या किसी शहरी निकाय को आवंटित की गई है। हांलाकि विशिष्ट मद की आवंटित राशि तीनों स्तरों की पंचायतों को दी जाने वाली है, लेकिन विशिष्ट मद में किस मुख्य शीर्ष की राशि किस स्तर की पंचायत को आंवटित की गई है। इसका विवरण राज्य सरकार के बजट विवरण में कहीं नहीं दिया गया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिए बने कानून

राज्य सरकार ने वर्ष 2012–13 में आयोजना बजट का करीब 9.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए एवं 8.15 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना पर व्यय करना प्रस्तावित किया है। जबकि योजना आयोग के दिशानिर्देशानुसार इन उपयोजनाओं पर राज्य में आयोजना बजट का दलित एवं आदिवासी आबादी के अनुपात में व्यय होना चाहिए। इस लिहाज से अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 17.16 प्रतिशत एवं जनजाति उपयोजना के लिए 12.56 प्रतिशत बजट आवंटित होना चाहिए, लेकिन उपयोजनाओं के लागू होने के 30 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी देश की केन्द्र सरकार के अलावा अधिकतर राज्य सरकारें अपने बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के लिए नियमानुसार बजट का आवंटन नहीं कर पा रही हैं।

देश में दलितों एवं अदिवासियों के हित में कार्यरत स्वयंसेवी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि देश एवं राज्यों में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजति उपयोजना के लिए आवंटन के मानदंड को एक कानूनी रुप दिया जाए ताकि सरकारें को अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिए बजट आवंटन इनकी आबादी के अनुपात में ही करें। अनसूचित जाति उपयोजना के लिए दलित आर्थिक अधिकार आन्दोलन, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को पत्र भी लिखा है। गौरतलब है कि कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियांवयन के लिये सरकार को सुझाव दिये हैं। इसी संदर्भ में यह पत्र राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के दलित मुद्दों के कार्यकारी समुह को लिखा गया है तथा मांग की गई है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सरकार से इस विषय में कानून बनाने की अनुसंशा करे। इससे पहले इस आंदोलन ने ऐसी मांग करते हुए एक पत्र देश के प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री को भी लिखा था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा की योजनायें

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं

राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश के महिला, वृद्ध, बच्चों एवं निःशक्त जनों के कल्याण एवं पेंशन तथा बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। पहले इस विभाग को ''समाज कल्याण विभाग'' के नाम से जाना जाता था। इस लेख में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है।

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाएं :–

(अ) बाल कल्याण :–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 व संशोधित अधिनियम, 2006 के तहत राज्य में निम्न गतिविधियां संचालित हैं :–

1. **सम्प्रेषण गृह व अपचारी बालिका गृह :** अधिनियम की धारा 8 के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बालक/बालिकाओं को सम्प्रेषण गृह में रखे जाने का प्रावधान है। इन गृहों में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से उनकी जांच होने तक रखा जाता है। यहां अपचारी बच्चो के लिए सभी सुविधाएं भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, आदि की निःशुल्क व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है।

2. **बालगृहः–** किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34 के तहत राज्य के उपेक्षित/परित्यक्त/निराश्रित/अनाथ/बच्चों के लिए बालगृह की स्थापना व पंजीयन का प्रावधान है। यहां बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ही रखा जा सकता है। बालगृह में भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है तथा सरकार की ओर से बालगृह के संचालन के लिए 90 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है।

3. **विशेष गृह :–** किशोर न्याय अधिनियम की धारा 9 में किशोर न्याय बोर्ड से सजा प्राप्त कानून से संघर्षरत अपचारी बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रखने के लिए विशेष गृह का प्रावधान किया गया है।

4. **दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी :–**परित्यक्त/लावारिस/अभ्यर्पित शिशुओं/बच्चों के पालन–पोषण, चिकित्सा, देखभाल व दत्तक ग्रहण के माध्यम से तथा परिवार में पुर्नस्थापना के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 41 (4) में दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी का प्रावधान किया गया है।

5. **पालनहार योजनाः–** अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चों के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है।

बच्चों व महिलाओं के लिए अन्य सुविधाएं :

- अप्रेल, 2007 से निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के एक बच्चे को 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- जनवरी, 2010 से पुनर्विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र के आधार पर पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है।
- अप्रेल, 2010 से कुष्ठ/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है।
- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) राज्य सरकार के साथ केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009–10 में एम.ओ.यू. दिनांक 06/01/2010 को हस्ताक्षर किया। इस योजना में बाल संरक्षण के जो कार्यक्रम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 में रखे गये हैं, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है।

वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वित
2007–2008	792.12	18014
2008–2009	1541.42	24692
2009–2010	2212.60	31006
2010–2011	2601.00	50391
2011–2012(दिस.,11 तक)	2178.00	44718

(अ) मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना :– वर्ष 2011–12 की बजट घोषणा में प्रदेश में मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना शुरू की गई है। इसमें सरकार द्वारा संचालित राजकीय और अनुदानित गृहों/पालनहार योजना में 17 वर्ष कर की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों को स्वरोजगाार के लिए तकनीकी प्रशिक्षण/अध्ययन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ब) महिला कल्याण

विभाग की ओर से महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा, जीविकोपार्जन की दृष्टि से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें से कुछ का विवरण यहां दिया जा रहा है –

1. **महिला सदन :–** महिला सदन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूप से उत्पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनमें नव जीवन का संचार करना है। सदन में महिलाओं को प्रवेश देकर उन्हें निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनर्वास व्यवस्था के अन्तर्गत जिन आवासनियों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज हैं, उनको सम्बन्धित राज्यों एवं जिलों के न्यायालयों में अपना पक्ष रखने के लिए भेजा जाता है। महिला सदन में निर्वासित आवासनियों को विवाह द्वारा पुनर्वासित करवाया जाता है।

2. **विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना :–** राज्य की विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2007–08 के बजट में विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि 15,000/रू. देने की घोषणा की गई। विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना दिनांक 01.04.2007 से लागू की गई। योजना के नियमानुसार विधवा पेंशन की पात्रताधारी महिला के पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार की उक्त योजना का लाभ लेने के लिए वह पात्र होगी।

3. **विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना :–** वर्ष 1997–98 से एकीकृत पैकेज प्रोगाम के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवारों की विधवाएं, जिनके कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं है, की पुत्रियों के विवाह के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 21.06.2003 से राशि 10,000/रूपये देने का प्रावधान किया है।

4. **सहयोग योजना :–** सभी वर्गो के बी.पी.एल. परिवारों की 18 वर्ष व उससे अधिक की आयु की पुत्रियो के विवाह पर राशि 10,000/ रूपये की सहायता प्रदान की जा रही थी। साथ ही कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऐसे परिवारों की 10वीं कक्षा उतीर्ण कन्या के विवाह पर राशि 5000/– रूपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा स्नातक उतीर्ण कन्याओं के विवाह पर 10,000/– रूपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करने की स्वीकृत हुई।

5. **महिला स्वयं सिद्धा योजना :–** महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वाबलम्बी बनाया जाना है। केन्द्र और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है ताकि विधवा और निराश्रित जरूरतमंद महिलाएं विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वाबलम्बी बनाया जा सके।

(स) निःशक्त कल्याण :–

विभाग की ओर से निःशक्तों के कल्याण के लिए कई योजनायें संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार राजस्थान में 14,11,979 निःशक्तजन हैं, जिनमें 8,40,650 पुरूष तथा 5,71,329 महिलाएं हैं।

1. निःशक्तों को छात्रवृत्ति

निःशक्त छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक है, उन्हे कक्षा 1 से 4 तक 40 रूपये, कक्षा 5 से 8 तक 50 रूपये एवं कक्षा 9 व अग्रिम कक्षा हेतु 150 रूपये से 750 तक प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति एवं नेत्रहीन छात्र/छात्रा को 100 से 200 प्रतिमाह वाचक भत्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है।

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	व्यय राशि(लाखों में)	लाभान्वितों की संख्या
2007–2008	88.64	11172
2008–2009	104.15	9763
2009–2010	106.36	7620
2010–2011	84.67	7703
2011–2012 (दिस.11 तक	55.94	3580

2.निःशक्तजनों के कृत्रिम अंग, उपकरण के लिए आर्थिक सहायता तथा ''विस्वास'' योजना अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए सहायता :–

निःशक्त व्यक्तियों को शारीरिक रूप ये सक्षम बनाने की दृष्टि से निःशुल्क अंग/ उपकरण एवं स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत अभ्यर्थी या उसके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 25,000 रूपए तक होने पर आर्थिक सहायता के अन्तर्गत कैलीपर्स, ट्राईसाईकिल, बैसाखी, श्रवणयंत्र व टेपरिकॉर्डर आदि भी प्रदान किये जाते हैं।

(द) वृद्ध कल्याण

1. **वृद्ध एवं अशक्त गृह :–** राज्य सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है। ये वृद्धाश्रम स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं।

2. **डे– केयर सेन्टर (भक्त श्रवणकुमार कल्याण सेवा आश्रम) :–** वृद्धावस्था में वृद्धजन अपने जीवन को उल्लास पूर्वक बिता सके, इसके लिए विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 1997–98 से डे–केयर सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं।

3. **कुष्ठ गृह एवं विशेष छात्रवृत्ति :–**विभाग द्वारा कोढ़ पीड़ित माता–पिता के बच्चों की शैक्षणिक सहायता हेतु विशेष छात्रवृत्ति, कक्षा 1 से 5 तक 40 रूपये, कक्षा 6से 8 तक 50 रूपये कक्षा 9 से 12 तक 85 रूपये, स्नातक स्तर तक 125 रूपये एवं स्नातकोत्तर व तकनीकी शिक्षा हेतु 170 रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक देय है।

4. **नवजीवन योजना :–** राजस्थान सरकार अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों/समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक रुप से विकास तथा पुनर्वास (यथा आजीविका के वैकल्पिक अवसर/संसाधन उपलब्ध करना, अशिक्षा को दुर करना एवं उन्हें मूलभूत संविधाएं प्रदान करना)करना है।

5. पेंन्शन योजनाएं :

अ) वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं निःशक्त पेंशन

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत निराश्रित व्यक्तियों को विभाग द्वारा वृद्धावस्था और विधवा पेंशन वर्ष 1974 से एवं निःशक्त पेंशन वर्ष 1965 से दी जा रही है।

ब) राष्ट्रीय पेंशन योजनायें

राज्य में 3 राष्ट्रीय पेंशन योजनायें लागू हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 वर्ष एवं ऊपर आयु के बी.पी.एल. परिवारों के वृद्धों के लिए) , इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (40वर्ष से 59 वर्ष तक की बी.पी.एल. परिवार की विधवा के लिए), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना(18 वर्ष से 59 वर्ष तक बी.पी.एल. परिवार के निःशक्त जो बहु निःशक्तता या गुरुत्तर निःशक्तता से ग्रसित हैं) को पेंशन स्वीकृत की जाती है।

वर्षवार		वृद्धावस्था पेंशन		विधवा पेंशन		निःशक्तजन पेंशन
2009–10		लाभार्थी	व्यय राशि	लाभार्थी	व्यय राशि	लाभार्थी
	राष्ट्रीय	480040	12552.39	46438	1044.31	7650
	राज्य	68111	11306.35	229144	12120.23	87991
	योग	548151	23858.74	275582	13164.54	95641
2010–11	राष्ट्रीय	574828	12446.95	70060	1600.46	11636
	राज्य	87993	23176.49	252519	15031.82	102462
	योग	662821	35623.44	322579	16902.28	114098
2011–12 अक्टू. 11 तक	राष्ट्रीय	629504	8298.13	86520	1412.35	14326
	राज्य	127144	17505.12	264609	10676.68	104681
	योग	756648	25803.25	351129	12089.03	119007

राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों को किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण

1. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) :–

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बीमा का लाभ देने के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 14 अगस्त 2006 से राजस्थान में भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के रुप में प्रारम्भ की गई है। आस्था कार्ड धारक परिवारों को इसमें सम्मिलित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये तथा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 75 हजार देने का प्रावधान किया गया है। योजना में शारीरिक अपंगता होने पर भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान है। बीमित सदस्य के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के दो बच्चों का 100 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी है। योजनान्तर्गत बीमित परिवार के बीमित सदस्य की प्रीमियम राशि 100 रुपये प्रतिवर्ष का राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जाता है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अधिक लाभप्रद है,

2. **परिवीक्षा सेवायें :–**अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 राज्य में जनवरी, 1962 से लागू किया गया। अधिनियम का उद्देश्य ऐसे अपराधियों को जो आजीवन कारावास, मृत्युदण्ड से संबंधित अपराधों में लिप्त ना हों, को कारावास दण्ड की अपेक्षा न्यायालय द्वारा अच्छे आचरण रखने तथा प्रतिभूति के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी द्वारा परिवीक्षण करते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित कराने का कार्य किया जाता है।

3. **कारागृह कल्याण सेवायें :–**पैरोल नियमानुसार, कारागृह में रह रहे बन्दियों को उनके अच्छे चाल चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बन्दी को नियमों में निर्धारित समय के लिए पेरोल पर रिहा किया जाता है। परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के मुख्य कर्तव्य एवं दायित्व कारागार में भ्रमण कर बंदियों की कारागार से बाहर की समस्याओं जैसे बच्चों की देख रेख एवं शिक्षा का प्रबन्ध, बन्दी की जमीन–जायदाद आदि की सुरक्षा की व्यवस्था, बन्दी के रुके हुए अन्य क्लेमों को दिलवाने की व्यवस्था, बन्दियों की अपीलों की शीघ्र सुनवाई आदि की व्यवस्था कराना है।

4. **राज्य वृद्धजन नीति :–**राज्य सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु 8 दिसम्बर, 2004 को राज्य वृद्धजन नीति घोषित की जा चुकी है।

5. **वृद्ध कल्याण बोर्ड :–** वृद्ध व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए **''राजस्थान राज्य कल्याण बोर्ड''** का गठन जून,2002 में किया जा चुका है।

6. **चिरायु योजना :–** राज्य में उपेक्षित वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से पी.पी.पी. आधारित वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु चिरायु योजना वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा पात्र संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 15 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जा सकती है।

उक्त सभी योजनाएं सामाजिक दृष्टि से कमजोर व पिछड़े माने जाने वाले महिला, बच्चों, वृद्ध और निशक्तजनों के लिए संचालित की जा रही हैं इसलिए यह आवश्यक है कि वह इन योजनाओं की सही तरीके से निगरानी और कियान्वयन करे ताकि पिछड़े, असहाय व कमजारे नागरिकों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत मुआवजे में वृद्धि

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दलित एवं आदिवासी सदियों से असमानता, शोषण एवं अत्याचार से पीड़ित रहे हैं। देश आजाद होने के बाद आदिवासियों एवं दलित को अन्याय एवं शोषण से मुक्त करने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान में दलित एवं आदिवासी जातियों के क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग बनाये गए। संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि इन वर्गों को सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षण देने के साथ इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास की जिम्मेवारी राज्य की ओर से वहन की जाए। इसी प्रकार अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार, उत्पीड़न एवं विभिन्न प्रकार के अपराधीक कृत्यों जैसे छुआछूत, अपमानित करना, शील भंग करना एवं कृषि भूमि से बेदखल आदि के खिलाफ कार्यवाही के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 बनाया गया। 1995 में इस अधिनियम से संबंधित नियम बनाकार अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995 नाम से लागू किया। इस अधिनियम में उपरोक्त अपराधों के तहत दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 6 माह से उम्र कैद तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम

कानून है पर नोडल एजेंसियां क्रियाशील नहीं

का उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी है। इस अधिनियम के नियम 11 के अनुसार अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा गवाहों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण और परिवहन सुविधाओं का भी भुगतान किया जाता है।

इस अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को 22 प्रकार के अपराधों से पीड़ित होने पर क्षतिपूर्ती सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इन अपराधों के प्रकार एवं प्रकृति के अनुसार आर्थिक सहायता के लिए अलग–अलग प्रावधान हैं। गत वर्ष 23 दिसंबर को केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995 के तहत विभिन्न अपराधों के अनुसार पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित किया। परिणामस्वरुप राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरुप इस अधिनियम के तहत संशोधित सहायता राशि को लागू कर अमल में लाने के लिए 14 अप्रेल, 2012 को एक आदेश पारित किया है। इस आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पीड़ितों को विभिन्न अपराधों के अनुसार अब पहले से दुगुनी से भी ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए बेगार, बलातश्रम या बंधुआ मजदूरी के अलावा सदोष भूमि उपयोग में लेना या उस पर कृषि करना, निवास स्थान छोड़ने को मजबूर करना, अपमानित करना आदि अपराधों में 25 हजार की जगह अब 60 हजार की सहायता राशि

नहीं बढ़ा दलित–आदिवासी पीडितों की सहायता का बजट

प्रदान की जायेगी। इसके अलावा हत्या, मृत्यु, आदि में दुगुनी से अधिक सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। विभिन्न अपराधों के तहत संशोधित सहायता राशि की नयी दरों का विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की वेबसाईट (http://www.sje.rajasthan.gov.in/Orders/Atrocities_30691_140412.pdf) से प्राप्त किया जा सकता है।

इस अधिनियम के क्रियांवयन के लिए राज्य में संभाग स्तर पर विशिष्ट सेशन न्यायालय के अलावा 17 जिलों में विशेष न्यायालय चल रहे हैं। कुछ जिलों में जिला सेशन न्यायाधिशों को इस अधिनियम के तहत विशिष्ट न्यायालय घोषित किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित आर्थिक सहायता जिला कलक्टर के माध्यम से प्रदान करवाई जाती है।

इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव के स्तर का नोडल अधिकारी होता है एवं प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर का विशेष अधिकारी होता है। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत अत्याचारों के मामलों की पारदर्शी जांच एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समितियां होती है। राज्य के लगभग सभी जिलों में सतर्कता और मॉनिटरी समितियों का गठन किया जा चुका है लेकिन ये क्रियाशील नहीं है। इनकी क्रियाशीलता के अभाव में पीड़ितों को समुचित सहायता राशि नहीं मिल पा रही है।

अगर बजट की दृष्टि से देखा जाये इस प्रकार के अपराधों में पीड़ितों को सहायता के लिए आवंटित बजट को बजट पुस्तिका में मुख्य शीर्ष– अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण के अन्तर्गत दोनो वर्गों– अनुसूचित जाति एवं जनजाति की मांग संख्या क्रमशः 51 एवं 30 के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा के लिए सहायात मद से दर्शाया जाता है। चुंकि इस अधिनियम के संबंध में जारी आदेश के बाद पीड़ितों को विभिन्न अपराधों के तहत अब दुगुनी से भी अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। अतः सरकार को इस संशोधित आर्थिक सहायता के अनुरुप बजट भी बढाना चाहिए था लेकिन सरकार ने इस अधिनियम के तहत पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि हेतु बजट संशोधन के अनुरुप नहीं बढ़ाया है। राज्य में पिछले 5–6 वर्षों में इस अधिनियम के अपराधों के अन्तर्गत पीड़ितों की संख्या एवं प्रदत्त सहायता व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका सं.–1 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995 के पीड़ितों की संख्या एवं बजट व्यय

(राशि– करोड़ में)

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		योग
	पीड़ितों की संख्या	सहायता हेतु व्यय	पीड़ितों की संख्या	सहायता हेतु व्यय	पीड़ितों की संख्या
2007–08	1348	2.53	250	0.45	1598
2008–09	1156	2.07	253	0.61	1409
2009–10	1233	2.40	232	0.50	1465
2010–11	1376	2.85	285	0.70	1661
2011–12 संशोधित	उपलब्ध नहीं	3.40	उपलब्ध नहीं	1.00	उपलब्ध नहीं
2012–13 प्रस्तावित	उपलब्ध नहीं	3.40	उपलब्ध नहीं	1.20	उपलब्ध नहीं

स्रोत : 1. बजट पुस्तिकाए, वित्त विभाग 2. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, 2011–12

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष सरकार के प्रस्तावित बजट में राज्य में अनुसूचित जाति के पीड़ितों के लिए सहायता के लिये 3.40 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जनजाति के पीडितों के लिए 1.20 करोड़ रुपए व्यय करना प्रस्तावित है। इस तरह दोनों वर्गों के लिये कुल 4.60 करोड़ रुपए व्यय करना प्रस्तावित है, जो गत वर्ष (2011–12) के संशोधित कुल बजट 4.40 करोड़ रु. से कुछ ही अधिक है। अब जबकि संशोधन के अनुरुप बजट आवंटन में दुगुनी से अधिक वृद्धि की जानी चाहिये थी, फिर भी सरकार ने इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में इसको गत वर्ष के संशोधित बजट के लगभग बराबर ही रखा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो इस अधिनियम के तहत पीड़ितों की संख्या में भी कोई कमी नहीं हो रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वर्ष 2011–12 के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2007–08 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ितों की संख्या क्रमशः 1348 एवं 250 को मिलाकर कुल 1598 थी। इसके बाद वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में पीड़ितों की संख्या 2007–08 के मुकाबले कुछ कम होकर क्रमशः 1409 एवं 1465 हो गयी। इसके 3 वर्ष बाद वर्ष 2010–11 में यह आंकड़ा बढ़कर दोनों वर्गों पीड़ितों को मिलाकर 1661 हो गया। अतः पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं हो रही है, ऐसे में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995 के अन्तर्गत इन वर्गों के पीड़ितों को संशोधित दरों पर सहायता मुहैया करवाना कैसे संभव होगा। चुंकि इस अधिनियम में अदालती कार्यवाही के दौरान पीड़ितों के आश्रितों एवं गवाहों के आने जाने हेतु यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता एवं भरण–पोषण का भी प्रावधान है। अतः ऐसे में पीड़ितों के आश्रितों एवं गवाहों को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बजट को बढ़ाया जाना आवश्यक है। ताकि इस प्रकार के अपराधों में आश्रितों एवं गवाहों को उचित मुआवज़े के साथ संरक्षण देकर ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके।

बिजली कंपनियों के कर्ज की रीस्ट्रकचरिंग

कर्ज के बोझ तले दबे राजस्थान के लिए बिजली कंपनियों का कर्ज एक बड़ी समस्या बन गया है। आर्थिक बदहाली से जूझ रही बिजली कंपनियों की दशा सुधारने के लिए प्रदेश की जनता पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी का बोझ लादे जाने की तैयारी चल रही है।

विद्युत मंत्रालय की ओर से हाल ही में भेजे गए केबिनेट नोट के मुताबिक देश की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के भारी भरकम ऋण को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। देश के सभी डिस्कॉम के करीब दो लाख करोड़ रुपए के ऋण को रिस्ट्रक्चर करने की योजना है। इस राशि का 50 फीसदी हिस्सा विभिन्न बैंकों से कर्ज के रुप में लिया जाएगा एवं शेष 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों को वहन करना होगा। गौरतलब है कि विद्युत कंपनियों द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से लिए जा रहे ऋण की गारंटी राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है। ऋण रिस्ट्रक्चर का प्रस्ताव योजना आयोग के सदस्य बी. के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। प्रस्तावित नोट को कुछ ही दिनों में कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना है।

इस नोट के अनुसार राज्य सरकारों के हिस्से में आने वाले ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारें बॉण्ड भी जारी कर सकती हैं। रिस्ट्रक्चरिंग के 3 साल तक डिस्कॉम को सिर्फ ब्याज का भुगतान करना होगा और इसके बाद अगले सात साल में डिस्कॉम को अपने कर्ज की अदायगी करनी होगी। ऋण रिस्ट्रक्चर के लिए डिस्कॉम कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर मुनाफे वाली कंपनी बनानी होगी। विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के डिस्कॉम ने अपनी योजना मंत्रालय को सौंप दी है। मंत्रालय के मुताबिक डिस्कॉम को मुनाफे में आने के लिए हर साल अपनी बिजली दरों में बदलाव करना होगा जिससे कि बिजली दरों में वृद्वि की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया सकता।

घाटे में चल रही विभिन्न विद्युत कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आधे ऋण की अदायगी राजस्थान जैसे राज्यों में राज्य की वित्तीय स्थिति को और खराब करेगी। सरकारों को इस खर्च की भरपाई के लिए या तो और कर्जा लेना होगा या नये कर लगाने होंगे, जिनका भार जनता के माथे ही पडेगा। साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कर्ज से उबरने के लिए बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है जिसकी चर्चा अभी से होने लगी है। फैसला चाहे जो हो लेकिन हर स्थिती में इसका बोझ तो आम जनता को ही उठाना होगा।

बार्क कार्यक्रम : जेण्डर बजट पर एक दिवसीय कार्यशाला

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) की ओर 7 जून 2012 को "राज्य में जेण्डर संवेदी बजट" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जयपुर में आयोजित कार्यशाला में महिला मुद्दों से जुड़े राज्य के विभिन्न स्वंय सेवी संगठनों, कार्यकर्ताओं तथा जेण्डर सैल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में जेण्डर संवेदी बजट तथा विभिन्न महिला मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया तथा चर्चा के दौरान जेण्डर बजट तथा महिला मुद्दों से संबंधित निम्न समस्याएं व उनके समाधान उभरकर सामने आये।

- जेण्डर बजट स्टेटमेंट में योजनाओं की श्रेणी का निर्धारण A,B,C,D किस आधार पर किया गया यह स्पष्ट हो।
- राज्य सरकार के पास लिंगानुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी वजह से उचित बजट आवंटन नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो महिला व पुरुष लाभार्थीयों के जिलेवार आंकड़ों को एकत्रित करे।
- विभागों में जेण्डर बजटिंग पर समझ की कमी है इसलिए विभागों के चुनिन्दा अधिकारियों को जेण्डर संवेदी बजट पर प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाये।
- कार्यशाला में उपस्थित जेण्डर सैल के प्रतिनिधियों ने स्टॉफ की कमी पर ध्यान दिलाया और स्टाफ बढ़ाये जाने की आवश्यकता जताई।
- जेण्डर बजट की जानकारी को आम जन तक सहज उपलब्ध करवाने के लिए सभी विभाग अपने वार्षिक रिर्पोट में जेण्डर बजट स्टेटमेंट की जानकारी भी दें।
- योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रारूप बनाते समय विभाग अपेक्षित लाभार्थियों महिला व पुरुष दोनों की उचित हिस्सेदारी दर्शायें।

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – मुकेश कुमार बंसल
– महेन्द्र सिंह राव
– भूपेन्द्र कौशिक
– हंसराज किरोड़ीवाल
सहयोग – सीताराम मीणा
– अंकुश वर्मा
सलाहकार – डॉ. जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :–

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....